Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, FEBRUARY 24, 2012
(PHALGUNA 5, 1933 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 24th February, 2012

No. 6—HLA of 2012/9.—The National Law University Haryana Bill, 2012, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 6—HLA of 2012

THE NATIONAL LAW UNIVERSITY HARYANA BILL, 2012

A

BILL

to establish and incorporate a National Law University Haryana for evolving and imparting comprehensive legal education to achieve excellence in all branches of law and its allied disciplines.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER – I

PRELIMINARY

1. This Act may be called the National Law University Haryana Act, 2012. Short title.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,- Definations.

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(b) "Bar Council of India" means the Bar Council of India constituted under the Advocates Act, 1961 (Central Act 25 of 1961);

(c) "Chancellor" means the Chancellor of the University;

(d) "Chief Justice" means the Chief Justice of India;

(e) "Executive Council" means the Executive Council of the University;

(f) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;

(g) "Governing Council" means the Governing Council of the University;

(h) "Government" means the Government of the State of Haryana;

(i) "Registrar" means the Registrar of the University;

(j) "Statutes, Ordinances and Regulations" mean Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under this Act;

(k) "University" means the National Law University Haryana established under section 3 of this Act;

(l) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the University;

(m) "Visitor" means the Visitor of the University.

CHAPTER – II

Establishment.

3. (1) There shall be established a University in the State of Haryana by the name of National Law University, Haryana.

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property both movable and immovable, and to contract and may by the said name sue or be sued through its Registrar.

(3) The University shall be engaged in teaching and research in law and its allied disciplines.

(4) The main seat of the University shall be at Rajiv Gandhi Education City, Sonipat.

Objects.

4. The objects of the University shall be,-

(a) to evolve and impart comprehensive legal education including distant and regular legal education at all levels to achieve excellence in the field of law and its allied disciplines;

(b) to organize advanced studies and promote research in all branches of law and allied disciplines;

(c) to disseminate legal knowledge and legal processes and their role in national development by organizing lectures, seminars, symposia, workshops and conferences;

(d) to promote cultural, legal and ethical values with a view to promote and foster the rule of law and the objectives enshrined in the Constitution of India;

(e) to improve the ability to analyse contemporary issues of public concern and their legal implications for the benefit of public;

(f) to liaise with institutions of higher learning and research in the field of law in India and aboard ;

(g) to publish periodicals, treatises, study books, reports, journals and other literature on all subjects relating to law;

(h) to promote legal awareness in the community for achieving social and economic justice;

(i) to do all such things as are incidental, necessary or conducive to the attainment of all or any of the objectives of the University.

Powers and functions.

5. The powers and the functions of the University shall be,—

(1) to administer and manage the University and such centres for study, research, education and instructions as are necessary in furtherance of the objects of the University;

(2) to provide for instructions in all branches of knowledge or learning pertaining to law and allied subjects as the University may deem fit;

(3) to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge of law through different modes including distance learning/continuing education programmes;

(4) to institute degrees, titles, diplomas, certificates and other distinctions;

(5) to hold examinations and to confer degrees, titles, diplomas and other academic distinctions on persons and to withdraw any such degrees, titles, diplomas and other academic distinctions subject to such conditions, as the University may determine;

(6) to fix, demand and receive fees and other charges, as may be prescribed under the Ordinances;

(7) to construct and maintain halls and hostels for the students of the University;

(8) to establish specialized study centres or other units for research and instructions as are, in the opinion of the University, necessary in furtherance of its objects;

(9) to supervise and control the residence and regulate the discipline amongst the students and staff of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;

(10) to make arrangements in respect of residence, discipline and teaching of women students;

(11) to create academic, technical, administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;

(12) to regulate and enforce discipline among the employees of the University and to take such disciplinary measures, as may be deemed necessary;

(13) to institute professorships, associate professorships, assistant professorships, and to create other teaching, academic or research posts required by the University;

(14) to appoint persons as professors, associate professors, assistant professors, or otherwise as teachers and research scholars in the University;

(15) to institute and award fellowships, scholarships, prizes and medals;

(16) to provide for printing, reproduction and publication of research and other works and to organize exhibitions;

(17) to sponsor and undertake research in all aspects of law, justice and social development;

(18) to co-operate with any other organizations in the matter of education, training and research in law, justice, social development and allied subjects and for such other purposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as the University may, from time to time, determine;

(19) to co-operate with institutions of higher learning in any part of the world having objects wholly or otherwise similar to those of the University by exchange of teachers and scholars and generally in such manner, as may be conducive to the common objects;

(20) to regulate the expenditure and to manage accounts of the University;

(21) to establish and maintain within the premises of the University or elsewhere such schools, colleges and study halls as the University may consider necessary and adequately furnish the same to establish and maintain such libraries and reading rooms, as may appear convenient or necessary for the University ;

(22) to receive grants, subventions, subscriptions, donations and gifts consistent with the objects of the University;

(23) to purchase, take on lease, or accept as gifts, or otherwise any land or building or works, which may be necessary or convenient for the purpose of the University, on such terms and conditions, as it may think fit and proper and to construct or alter and maintain any such building or works;

(24) to sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or immovable, on such terms and conditions, as it may deem fit and proper without prejudice to the interests and activities of the University;

(25) to draw and accept, to make and endorse, to discount and negotiate Government of India and other promissory notes, bills of exchanges, cheques or other negotiable instruments;

(26) to execute conveyances, transfers, re-conveyances, mortgages, leases, licences and agreements in respect of property, movable or immovable including Government securities belonging to the University or to be acquired for the purpose of the University;

(27) to appoint any person, in order to execute an instrument or transact any business of the University, as it may deem fit;

(28) to give up and cease from carrying on any classes or departments of the University;

(29) to enter into an agreement with the Central Government, State Government, the University Grants Commission or other authorities for receiving grants;

(30) to accept grant of money, securities or property of any kind or description on such terms and conditions, as may be deemed expedient;

(31) to raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities, funded or based upon all or any of the properties and assets of the University or without any securities and upon such terms and conditions, as it may think fit and to pay out of the funds of the University all expenses incidental to the raising of money, and to repay and redeem any money borrowed or debt made;

(32) to invest the funds of the University or moneys entrusted to the University in or upon such securities or deposits and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investments;

(33) to make such Statutes, Ordinances, Regulations and other instruments as may, from time to time, be considered necessary for regulating the affairs and the management of the University and its properties and to alter, modify and to rescind them;

(34) to institute for the benefit of the academic, technical, administrative officers and other staff, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes, insurance fund, contributory provident fund and other schemes, as it may deem fit and to make such grants, as it may think fit for the benefit of the staff of the University and to aid in the establishment and support of associations, institutions, funds and trusts for the benefit of the staff and the students of the University;

(35) to confer honorary degrees and other distinctions in the manner laid down in the Statutes;

(36) to delegate all or any of its powers to the Vice-Chancellor or any committee or to any one or more members of its body or its officers; and

(37) to do all such other acts and things as the University may consider necessary, conducive or incidental to the attainment or enlargement of the aforesaid objects or any of them.

6. (1) All teaching in connection with the degrees, diplomas and certificates of the University shall be conducted in accordance with the syllabi prescribed by the Regulations. Teaching.

(2) The courses and curricula and the authorities responsible for organizing the teaching of such courses and curricula shall be as prescribed by the Statutes.

7. (1) The Chief Justice of India or his nominee, who shall be sitting Judge of the Supreme Court, shall be the Visitor of the University Visitor.

(2) The Visitor when present shall preside over the convocations of the University and the meetings of the Governing Council.

Chancellor.

8. (1) The Governor of Haryana shall be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor, when present and in the absence of the Visitor shall preside over the convocations of the University and the meetings of the Governing Council.

(3) The Chancellor may cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, libraries and equipment and of any institution maintained by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.

(4) The Chancellor may offer such advice to the University as he may deem fit with reference to the result of such inspection or inquiry.

(5) The University shall communicate to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on such advice.

(6) In case of differences among the authorities or officers of the University on any matter which cannot be otherwise resolved, the decision of the Chancellor shall be final.

(7) The Chancellor may invite a person or persons of eminence in law and legal education to advise the University in relation to affairs of the University as and when he deems it necessary.

CHAPTER – III

AUTHORITIES OF UNIVERSITY

Authorities.

9. The following shall be the authorities of the University, namely:—

(a) the Governing Council;

(b) the Executive Council;

(c) the Academic Council ;

(d) the Finance Committee ;and

(e) such other authorities as may, from time to time, be declared as such by the Statutes.

Governing Council and its term of the office.

10. (1) The Governing Council shall be the supreme authority of the University and shall consist of the following persons, namely:—

(a) the Chancellor as the Chairperson or in his absence the Vice-Chancellor. However, the Visitor when present shall preside over the meetings of the Governing Council;

(b) the Vice-Chancellor as Convener;

(c) the Chief Secretary, Government of Haryana;

(d) two members from amongst the sitting Judges nominated by the Government with the concurrence of the Chief Justice or retired Judges of the Punjab and Haryana High Court nominated by the Chancellor on recommendation of the State Government;

(e) the Chairman, Bar Council of India or his nominee from amongst the members of the Bar Council of India;

(f) the Advocate General, Haryana;

(g) two eminent persons in the disciplines of social sciences and humanities, nominated by the Chancellor on the recommendation of the State Government;

(h) two eminent persons in the legal and educational fields, nominated by the Chancellor on the recommendation of the State Government;

(i) the Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Finance Department, or his nominee,

(j) the Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Higher Education Department, or his nominee;

(k) the Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Law and Legislative Department, or his nominee;

(l) the Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Administration of Justice Department, or his nominee; and

(m) the Registrar as Member Secretary.

(2) Where a person has become a member of the Governing Council by reasons of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.

(3) The term of office of the nominated members under clauses (d), (g) and (h) of sub-section (1) shall be three years and shall not be extended in any case.

(4) A member of the Governing Council shall cease to be a member if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude. A member, other than the Vice-Chancellor shall also cease to be member if he accepts a full time appointment in the University or if he, not being an ex-officio member fails to attend three consecutive meetings of the Governing Council without the leave of the Chancellor.

(5) A member other than an ex-officio member, may resign from his office by a letter addressed to the Chancellor and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by him.

(6) Any vacancy in the Governing Council shall be filled by nomination of a person by the respective authority entitled to make the same and the person so nominated shall hold office so long only as the member in whose place he is appointed or nominated could have held office if the vacancy had not occurred.

Powers, functions and meetings of the Governing Council

11. (1) The Governing Council shall be the plenary authority of the University and shall formulate and review from time to time the broad policies and programmes of the University and devise measures for the improvement and development of the University and shall also have the following powers and functions, namely :—

(a) to consider and pass the annual report, financial statement and the budget estimates prepared by the Executive Council and to adopt them with or without modification;

(b) to make Statutes concerning the administration of the affairs of the University including prescribing the procedures to be followed by the authorities and the officers of the University in the discharge of their functions.

(2) The Governing Council shall meet at least once in a year. An annual meeting of the Governing Council shall be held on a date to be fixed by the Executive Council, unless some other date has been fixed by the Governing Council in respect of any year

(3) A report of the working of the University during the previous year, togetherwith a statement of receipt and expenditure, the balance sheet as audited, and the financial estimates shall be presented by the Vice-Chancellor to the Governing Council at its annual meetings.

(4) The meetings of the Governing Council shall be called by the Chancellor or by the Vice-Chancellor either on his own or at the request of not less than ten members of the Governing Council.

(5) For every meeting of the Governing Council, fifteen days notice shall be given.

(6) One-third of the members existing on the rolls of the Governing Council shall form the quorum.

(7) Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Governing Council, the person presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote.

(8) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.

(9) If urgent action by the Governing Council becomes necessary, the Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Governing Council. The action so proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Governing Council. The

action so taken shall be forthwith intimated to all members of the Governing Council. The papers shall be placed before the next meeting of Governing Council for confirmation. In case the authority concerned fails to take decision, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.

Executive Council.

12. (1) The following shall be the members of the Executive Council, namely:—

(a) the Vice-Chancellor of the University as the Chairperson;

(b) the Chairman, the Bar Council of India, or his nominee from amongst the members of the Bar Council of India;

(c) the Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Finance Department, or his nominee;

(d) the Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Higher Education Department, or his nominee;

(e) three professors of law outside the University nominated by the Chancellor on the recommendation of the Government for a period of three years;

(f) three teachers of the University to be nominated by the Vice-Chancellor, of whom one shall be from amongst the Professors, one from amongst the associate professors and one from amongst the assistant professors by rotation for a period of two years; and

(g) two teachers of the University teaching departments other than Professors, to be elected from amongst themselves, for a period of two years.

(2) Where a person has become a member of the Executive Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.

(3) A member of the Executive Council shall cease to be member, if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence, involving moral turpitude. A member other than the Vice-Chancellor or teacher shall also cease to be a member if he accepts a full time appointment in the University, or if he, being a teacher fails to attend three consecutive meetings of the Executive Council without the leave of the Vice-Chancellor.

(4) A member of the Executive Council other than an ex-officio member may resign from his office by a letter addressed to the Vice-Chancellor and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by him.

(5) Any vacancy in the Executive Council shall be filled by nomination or election, as the case may be and on expiry of the period of vacancy, such member shall cease to hold the office.

Powers, functions and meetings of the Executive Council.

13. (1) The Executive Council shall be the Chief Executive Authority of the University and, as such, shall have all powers necessary to administer the University subject to the provisions of this Act and the Statutes made there- under; and may make Regulations for the said purpose.

(2) The Executive Council shall have the following powers and functions, namely:—

(a) to prepare and present the annual report to the Governing Council at its annual meeting, which shall include-

(i) a report on the working of the University;

(ii) a Statement of accounts; and

(iii) budget proposals for the ensuing academic year;

(b) to manage and regulate the finances, accounts, investments, properties, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose, constitute committees and delegate the powers to such committees or such officers of the University, as it may deem fit;

(c) to invest any money belonging to the University, including any undeployed income, in such stock, funds, shares or securities, as it may, from time to time, think fit, or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying such investments from time to time;

(d) to transfer or accept transfer of any movable or immovable property on behalf of the University ;

(e) to enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers, as it may think fit;

(f) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University ;

(g) to entertain, adjudicate upon, and if it think fit, to redress any grievances of the officers, teachers, students and employees of the University;

(h) to create teaching, administrative, ministerial and other necessary posts, to determine the number and emoluments of such posts, to specify the minimum qualifications for appointment to such posts, on such terms and conditions of service, as may be prescribed by the Regulations made in this behalf;

(i) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances, after consulting the Academic Council ;

(j) to select a common seal for the University; and

(k) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be considered necessary, or imposed on it by or under this Act.

(3) The Executive Council shall meet, at least, once in three months and not less than fifteen days notice shall be given of such meetings.

(4) The meeting of the Executive Council shall be called by the Registrar under instructions of the Vice-Chancellor or at the request of not less than five members of the Executive Council.

(5) One-third of the members of the Executive Council shall form the quorum at any meeting.

(6) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.

(7) Each member of the Executive Council shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Executive Council, the Chairman of the Executive Council or as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.

(8) Every meeting of the Executive Council shall be presided over by the Vice- Chancellor and in his absence by a member chosen by the members present.

(9) If urgent action by the Executive Council becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members. The action so proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members. The papers shall be placed before the next meeting for confirmation. In case, the authority concerned fails to take decision, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

Academic Council.

14. (1) The Academic Council shall consist of the following persons, namely:—

(a) the Vice-Chancellor who shall be the Chairperson ;

(b) three persons from amongst educationists of repute or members of the legal profession or eminent public men, who are not in the service of the University, nominated by the Chancellor on the recommendations of the Government;

(c) Director General/Director Higher Education, Haryana or his nominee;

(d) a nominee of the Bar Council of India from amongst its members;

(e) all the Deans of faculties;

(f) all the Head of the Departments;

(g) two members of the teaching staff, one each respectively representing the associate and assistant professors of the University, nominated by the Vice-Chancellor for a period of two years on rotation;

(2) The term of the members other than ex-officio members and those whose term is specified by clause (g) of sub-section (1), shall be three years.

Powers, functions and meetings of the Academic Council.

15. (1) Subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulations and overall supervision of the Executive Council, the Academic Council shall manage the academic affairs and matters in the University and in particular shall have the following powers and functions, namely:—

(a) to report on any matter referred or delegated to it by the Governing Council or the Executive Council;

(b) to make recommendations to the Executive Council with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the qualifications, emoluments and the duties attached thereto;

(c) to formulate and modify or revise schemes for the organization of the faculties, and to assign to such faculties their respective subjects and also to report to the Executive Council as to the expediency of the abolition or sub-division of any faculty or the combination of one faculty with another;

(d) to recommend arrangements for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the University;

(e) to promote research within the University and to require from time to time, reports on such research ;

(f) to consider proposals submitted by the faculties;

(g) to lay down policies for admission to the University;

(h) to recommend recognition of diplomas and degrees of other Universities and institutions and to determine their equivalence in relation to the certificates, diplomas and degrees of the University;

(i) to fix, subject to any conditions accepted by the Governing Council, the time, mode and conditions of competitions for fellowships, scholarships and other prizes and to recommend for award of the same;

(j) to make recommendations to the Executive Council with regard to the appointment of examiners and, if necessary, their removal, fixation of their fees, emoluments, traveling and other expenses;

(k) to recommend arrangements for the conduct of examinations and the dates for holding them;

(l) to review the result of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honours, diplomas, licences, titles and marks of honour;

(m) to recommend stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the Regulations and such other conditions, as may be attached to the awards;

(n) to approve or revise lists of prescribed or recommended text books and to publish the syllabus for the prescribed courses of study;

(o) to approve such forms and registers as are, from time to time required by the Regulations;

(p) to formulate, from time to time, the desired standards of legal education to be adhered in drawing up the curriculum /syllabi for being taught in the University; and

(q) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for carrying out of the provisions of this Act and the Regulations made thereunder.

(2) The Academic Council shall meet as often as may be necessary, but not less than twice during an academic year.

(3) One-half of the existing members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting.

(4) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.

(5) Each member including the Chairman of the Academic Council, shall have one vote and if there be an equality of votes on any question to be determined, the Chairman, or, as the case may be, the member presiding over the meetings, shall in addition, have a casting vote.

(6) Every meeting shall be presided over by the Vice-Chancellor and in his absence by a member chosen in the meeting to preside on the occasion.

(7) If urgent action by the Academic Council becomes necessary, the Chairman may permit the business to be transacted by circulation of the papers to the members. The action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to, by a majority of the members. The action so taken shall forthwith be intimated to all the members. The papers shall be placed before the next meeting for confirmation. In case, the authority concerned fails to take decision, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.

Finance Committee.

16. (1) The Finance Committee shall consist of the following persons, namely:—

(I) Ex-officio members—

(a) the Vice-Chancellor (Chairperson);

(b) the Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Finance Department, or his nominee;

(c) the Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Higher Education Department, or his nominee; and

(d) the Director General/Director, Higher Education Department or his nominee.

(II) Other members—

(a) one outside member having expertise in finance to be nominated by the Chancellor on the recommendation of the Vice-Chancellor; and

(b) two Deans of faculties to be nominated by the Vice-Chancellor.

(2) The Registrar shall be the Member Secretary of the Committee.

(3) Nominated members of the Finance Committee shall hold office for a term of two years.

(4) Three members, out of whom at least one member shall be Government nominee, shall form the quorum.

(5) The functions and duties of the Finance Committee shall be as follows:—

(a) to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Executive Council;

(b) to consider all proposals for new expenditure and to make recommendations to the Executive Council;

(c) to consider the periodical statements of accounts and to review the finances of the University from time to time and to consider re-appropriation statements and audit reports and to make recommendations to the Executive Council; and

(d) to give its views and to make recommendations to the Executive Council on any financial question affecting the University either on its own initiative or on reference from the Executive Council or the Vice-Chancellor.

(6) The Finance Committee shall meet at least, thrice in every year.

(7) The Vice-Chancellor shall preside over the meetings of the Finance Committee, and in his absence, a member elected at the meeting shall preside.

(8) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority of the members present shall prevail.

(9) Each member including the Vice Chancellor shall have one vote and if there be an equality of votes on any question to be determined, the Chairman or as the case may be, the member presiding over the meeting, shall in addition, have a casting vote.

CHAPTER – IV

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

17. The following shall be the officers of the University, namely:— Officers of University

(a) the Vice-Chancellor ;

(b) the Registrar;

(c) Head of the Departments; and

(d) such other officers, as may be prescribed by the Statutes.

18. (1) The Vice-Chancellor shall be an academic/administrative person and an outstanding scholar. He shall be a whole time salaried officer of the University. Vice Chancellor

(2) The Government shall constitute a Search Committee consisting of one nominee of the Chancellor and two nominees of the State Government, which shall prepare a panel of at least three names, in alphabetical order, from which the Chancellor shall appoint the Vice- Chancellor, on the advice of the Government. The Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Higher Education Department, shall be the convener of the Search Committee.

(3) The terms and conditions of the services of the Vice-Chancellor, shall be determined by the Chancellor, on the advice of the Government.

(4) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years which may be renewed for not more than one term:

Provided that no person shall be appointed or continue in the office of the Vice-Chancellor, if he has attained the age of 68 years.

(5) If the office of the Vice-Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise or if he is unable to perform his duties due to ill health or any other cause, the Chancellor shall have the authority to designate an administrator/academician to perform the functions of the Vice-Chancellor until

the new Vice-Chancellor assumes his office or until the existing Vice-Chancellor attends to the duties of his office, as the case may be.

(6) The Vice-Chancellor shall—

(a) ensure that the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulations are duly observed, and shall have all powers as are necessary for that purpose;

(b) convene the meetings of the Governing Council, the Executive Council, the Academic Council and shall perform all other acts, as may be necessary to give effect to the provisions of this Act;

(c) preside over the meetings of the Governing Council in the absence of the Chancellor;

(d) be the competent authority to appoint the teacher, librarian, finance officer and other officers in consultation with the Chancellor on the recommendations of the selection committee;

(e) be the competent authority to take disciplinary action against the above officers in accordance with the Regulations;

(f) have all powers relating to the maintenance of proper discipline in the University; and

(g) if, in his opinion, any emergency has arisen which requires that immediate action be taken, he shall take such action, as he may deem fit and shall report the same for confirmation in the next meeting of the authority which , in the ordinary course, would have dealt with the matter.

Registrar.

19. (1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor on the advice of the Government, in such manner, as may be prescribed by the Statutes. The Registrar shall be ex-officio Secretary of all the authorities, committees and other bodies of the University. He shall note and maintain the minutes of the meetings.

(2) The Registrar shall be the Principal adjutant of the Vice-Chancellor in all matters pertaining to the administration of the University.

Appointment of first Vice-Chancellor and first Registrar.

20. Notwithstanding anything contained in this Act, the first Vice-Chancellor and the first Registrar shall be appointed by the Chancellor on the advice of the Government for a period as deemed appropriate by the Government.

Heads of Department.

21. (1) There shall be a head for each department in the University.

(2) The powers, functions, appointments and conditions of service of the heads of the departments shall be as prescribed by the Statutes.

Other officers and employees.

22. The manner of appointment and powers and duties of other officers of the University shall be such, as may be prescribed by the Statutes.

Selection Committees.

23. A selection Committee for any appointment of teaching and non-teaching staff shall be such, as prescribed under the Statutes.

24. Subject to the provisions of this Act, the Statutes shall provide for all or any of the following matters, namely: — Statutes and their scope.

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University, as may be constituted from time to time;

(b) the constitution of the selection committees for appointment of Professors, Associate Professors, Assistant Professors and non-teaching staff, the classification, mode of appointment, powers and duties of the teachers and the officers of the University other than the Vice-Chancellor and the Registrar;

(c) the conditions of the service including provision for contributory provident fund or insurance scheme for the benefit of the employees of the University;

(d) the conferment of honorary degrees;

(e) the establishment and abolition of Faculties and Departments;

(f) the institution of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes;

(g) the maintenance of discipline among the students;

(h) the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University; and

(i) all other matters which by this Act, are to be or may be provided for, by the Statutes.

25. The Statutes of the University shall be made by the Vice-Chancellor with the approval of the Chancellor. They shall be placed before the Governing Council at its first meeting, which may adopt them with or without modifications. Framing of statutes.

26. Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:— Ordinances and their scope.

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the admission to the examinations, degrees and diplomas of the University;

(c) the conditions under which students shall be admitted to the degree or diploma courses and to the examinations of the University and the eligibility for such degrees and diplomas;

(d) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examinations, degrees and diplomas of the University; and further to make progressively the fee structure so flexible that the courses could become self- financing to the extent possible;

(e) the conditions of the award of fellowships, studentships, exhibitions, medals and prizes;

(f) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(g) the conditions of residence of students of the University; and

(h) all other matters which by this Act or the Statutes are to be made or may be provided for by the Ordinances.

Framing of ordinances.

27. (1) The Ordinances shall be made, amended, repealed or added to by the Executive Council:

Provided that no Ordinance shall be made—

(i) affecting the admission or enrolment of students or prescribing examinations to be recognized as equivalent to the University examinations; and

(ii) affecting the conditions, mode of appointment or duties of examiners or the conduct or standard of examination or any courses of study, unless the draft of such an Ordinance has been proposed by the Academic Council.

(2) The Executive Council may return to the Academic Council for consideration, either in whole or in part, any draft proposed by the Academic Council under sub-section (1) along with its suggestions:

Provided that the Executive Council shall not amend the draft proposed by the Academic Council itself. It may, however, reject such draft when submitted to it by the Academic Council for the second time.

(3) All Ordinances made by the Executive Council shall have effect from such date as it may direct and every Ordinance made shall be communicated, as soon as may be, to the Chancellor.

Regulations.

28. The authorities of the University shall make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances—

(a) laying down the procedure to be observed at their meetings;

(b) providing for giving of notice to the members of such authority of the dates of meetings and of the business to be considered at meetings and for the keeping of a record of the proceedings of the meetings; and

(c) for any other purpose, as may be deemed necessary by the authority.

Creation of teaching and non-teaching posts.

29. Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall not create any teaching and non-teaching post or revise the pay scale of the teaching and non- teaching employees without obtaining the prior approval of the Government.

Admissions and reservation.

30. A minimum of 25% seats for admissions in the University shall be reserved for students of the State of Haryana. One-fifth of the total seats reserved for Haryana domicile shall be reserved for the wards of landowners whose land has

been acquired under land acquisition policy of the Government for Rajiv Gandhi Education City, Sonipat. Further, admission on these one-fifth seats shall be made on the basis of merit in Common Law Admission Test (CLAT).

Reservation policy of the State Government, as amended from time to time, shall be applicable on Haryana domicile students.

31. The annual report of the University giving details of broad programmes, policies and finances, amendments of Statutes and Ordinances made during the year under report, shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall be submitted to the Governing Council on or after such date as may be prescribed by the Statutes and the Governing Council shall consider the report in its annual meeting. Annual report.

32. (1) The annual accounts and the balance-sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall once at least every year and at intervals of not more than fifteen months be audited by the Director, Local Audit, Haryana or any other auditor that may be appointed by the Government. The annual accounts when audited shall be published in the Haryana Government Gazette and a copy of the annual accounts along with the report of the Director, Local Audit, Haryana or the auditor shall be submitted to the Governing Council and the Chancellor along with the observations of the Executive Council. Any observations made by the Chancellor on the annual accounts shall be brought to the notice of the Governing Council and observations of the Governing Council, if any, shall after being considered by the Executive Council, be submitted to the Chancellor. Annual accounts.

(2) The annual accounts and the balance sheet of the University shall also be submitted to the Government at the time of its submission to the Chancellor.

CHAPTER - V

GENERAL

33. If not less than two-thirds of the members of the Academic Council recommend that a honorary degree or academic distinction be conferred on any person on the ground that he is, in their opinion, by reason of eminent attainment of a position, fit and proper to receive such degree or academic distinction, the Governing Council may, by a resolution, decide that the same be conferred on the person recommended. Honorary degrees.

34. (1) The Governing Council may, on the recommendation of the Executive Council, withdraw any distinction, degree, diploma or privilege conferred on, or granted to, any person, by a resolution passed by the majority of total membership of the Governing Council and by a majority of not less than two-third of the members of the Governing Council present and voting, at the meeting, if such person has been convicted by a court of law for an offence, which in the opinion of the Governing Council, involves moral turpitude or if he has been guilty of gross misconduct. Withdrawal of degree or diploma.

(2) No action under sub-section (1) shall be taken against any person unless he has been given an opportunity to show cause against the action proposed to be taken.

(3) A copy of the resolution passed by the Governing Council shall be immediately sent to the person concerned.

(4) Any person aggrieved by the decision of the Governing Council may appeal to the Chancellor within thirty days from the date of receipt of such resolution.

(5) The decision of the Chancellor in such appeal shall be final.

Bar on conferring, granting or issuing degrees, diplomas or certificates by unauthorized institutions.

35. (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other State law, for the time being in force, no person or institution, other than the University, shall confer, grant or issue or hold himself or itself out as entitled to confer, grant or issue any degree, diploma or certificate in the specialized areas of knowledge assigned to it within the territorial jurisdiction of the University which is identical with or is a colorable imitation of any degree, diploma or certificate conferred, granted or issued by the University.

(2) Contravention of the provisions of sub-section (1) shall be a cognizable offence punishable with imprisonment not exceeding three years or with a fine not exceeding ten thousand rupees or with both.

(3) Where an offence under this section has been committed by a college or an institution, every person incharge of, and responsible to the college or the institution for the conduct of its business at the time of the commission of the offence, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against as per law.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), where an offence made under this section has been committed by an institution and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any officer of the institution, such officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purpose of this section "institution" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals.

Discipline.

36. (1) The final authority responsible for maintenance of discipline among the students of the University shall be the Vice-Chancellor. His directions in that behalf shall be carried out by the heads of department, hostels and institutions.

(2) The punishment of debarring a student from an examination or rustication from the University shall be imposed by the Vice- Chancellor and the decision taken by the Vice-Chancellor shall be considered by the Executive Council in its next meeting:

Provided that no such punishment shall be imposed without giving the student concerned a reasonable opportunity to show cause against the action proposed to be taken against him.

37. The University shall be open to all persons irrespective of race, creed, caste or class and no test or condition shall be imposed as to religion, faith, belief or profession in admitting or appointing members, students, teachers, workers, or in any other connection whatsoever and no benefaction shall be accepted which in the opinion of the authorities of the University involves conditions or obligations opposed to the spirit and objectives of this provision: University open to all races, classes, castes and creeds

Provided that nothing contained in this section shall be deemed to prevent the University from making any special provisions in respect of weaker sections of the society and in particular Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

38. No act or proceeding of the Governing Council, the Executive Council or any other authority or officer or body of the University shall be invalidated or questioned on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution thereof. Vacancy, etc. not to invalidate any act or proceeding

39. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the University or any authority or officer or employee of the University for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act, Statutes, Ordinances, Regulations made thereunder. Indemnity.

40. The provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent contained therewith in any other State law or instrument having the force of law for the time being in force. Overriding effects

41. If any difficulty arises as to the first constitution or reconstitution of any authority of the University after the commencement of this Act or otherwise in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty: Power to remove difficulties.

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the date of the commencement of this Act.

42. Whenever the University receives funds from any Government, the University Grants Commission or other agencies sponsoring a scheme to be executed by the University, notwithstanding anything in this Act— Sponsored schemes

(a) the amount received shall be kept by the University separately from the University fund and utilized only for the purpose of the scheme ; and

(b) the staff required to execute the scheme shall be recruited in accordance with the terms and conditions stipulated by the sponsoring organization:

Provided that if the University receives such grants for creation of posts from University Grants Commission, the prior approval of the State Government shall be obtained.

Mode of proof of University record

43. Subject to the provisions contained in the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), or in any other law for the time being in force, a copy of any receipt, application, notice, order, proceedings, resolution of any authority or committee of the University, or other documents in possession of the University, or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as evidence of such receipt, application, notice, order, proceedings, resolution, document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is a need for trained law personnel in academia, litigation, corporate practice, Government and civil society. This demand, particularly, has risen significantly over the last few years and it is expected that it would rise far more exponentially in the times to come. A clear long term vision on legal education in Haryana with a continuing commitment to excellence needs to be the focus to cater to the growing requirement of trained legal professionals. Presently, there are 14 National Law Schools/Universities all over India which have earned a name and recognition across the boundaries.

Further, with an aim on improvement in access to quality legal education and to develop a serious research tradition that is globally competitive and to give rise to sustainable law training, it has been proposed to establish National Law University, Haryana at Rajiv Gandhi Education City, Sonipat.

Further, the proposed National Law University, Haryana will raise the standards of the legal education and produce legal professionals who are resourcefully competent, technically sound and socially relevant. This University will be developed as a Centre of Excellence with objectives to organize advanced studies and research in all branches of law, to disseminate legal knowledge and legal processes, to liaise with institutions of higher learning and research in India and abroad and further to award degrees, titles, diplomas etc. in legal education.

Hence, this bill.

GEETA BHUKKAL
Education Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 24th February, 2012

SUMIT KUMAR,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 25 of the proposed bill empowers the Vice Chancellor to frame the Statutes with the approval of Chancellor. Clause 27 of the bill delegates the power to the Executive Council to frame the Ordinance. Similarly, Clause 28 of the bill delegates the powers to the authorities of the University to make regulations to carry out the proposes of the Act. This delegation of power to the authorities is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2012 का विधेयक संख्या 6–एच०एल०ए०

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा विधेयक, 2012

विधि तथा इसकी सहबद्ध शिक्षण की समस्त शाखाओं में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए व्यापक विधि शिक्षा विकसित तथा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा को स्थापित तथा निगमित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय I

प्रारम्भिक

1. (1) यह अधिनियम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा अधिनियम, 2012, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, — परिभाषाएं।

(क) "शैक्षणिक परिषद्" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद् ;

(ख) "भारतीय विधिज्ञ परिषद्" से अभिप्राय है, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 25) के अधीन गठित भारतीय विधिज्ञ परिषद् ;

(ग) "कुलाधिपति" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति ;

(घ) "मुख्य न्यायाधीश" से अभिप्राय है, भारत का मुख्य न्यायाधीश ;

(ड.) "कार्यकारी परिषद्" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् ;

(च) "वित्त समिति" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय की वित्त समिति;

(छ) "शासकीय परिषद्" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय की शासकीय परिषद् ;

(ज) "सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार ;

(झ) "कुलसचिव" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय का कुलसचिव ;

(ञ) "परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गये विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम ,

(ट) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा ;

(ठ) "कुलपति" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय का कुलपति ;

(ड) "कुलाध्यक्ष" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष।

अध्याय II

स्थापना।

3. (1) हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और चल तथा अचल दोनों सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा व्ययन करने, और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह इसके कुल–सचिव के माध्यम से उक्त नाम से वाद ला सकेगा तथा वाद लाया जा सकेगा।

(3) विश्वविद्यालय विधि तथा इसके सहबद्ध शिक्षण में अध्यापन तथा अनुसंधान में लगा रहेगा।

(4) विश्वविद्यालय का मुख्य स्थान राजीव गांधी शिक्षा नगर, सोनीपत होगा।

उद्देश्य।

4. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:–

(क) विधि तथा इसके सहबद्ध शिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए दूरस्थ तथा नियमित विधिक शिक्षा के समस्त स्तरों सहित व्यापक विधि शिक्षा विकसित तथा प्रदान करना;

(ख) विधि तथा सहबद्ध शिक्षण की समस्त शाखाओं में उन्नत अध्ययन आयोजित करना तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना,

(ग) व्याख्यानों, सेमिनारों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों का आयोजन करके राष्ट्रीय विकास में विधि जानकारी और विधिक पद्धति तथा उनकी भूमिका का प्रचार करना;

(घ) भारत के संविधान में उल्लिखित विधि के नियमों तथा उद्देश्यों को

प्रोत्साहित करने तथा बढ़ावा देने की दृष्टि से, सांस्कृतिक, विधिक तथा नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना;

(ड.) जनता के लाभ के लिए और जनता से सम्बन्धित समकालीन मामलों तथा उनके विधिक विवक्षाओं के विश्लेषण की क्षमता में सुधार करना;

(च) भारत तथा विदेशों में विधि के क्षेत्र में उच्चतर विद्या तथा अनुसंधान की संस्थाओं से सम्पर्क करना;

(छ) विधि से संबंधित समस्त विषयों पर पत्रिकाएं, शोध–प्रबन्ध, अध्ययन पुस्तकें, रिपोर्टस, जर्नलस तथा अन्य साहित्य का प्रकाशन करवाना;

(ज) सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिये समाज में विधिक जानकारी को बढ़ावा देना;

(झ) ऐसे समस्त कार्य करना जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्ही उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक, आवश्यक या प्रेरेक हों।

5. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे :– शक्तियां तथा कृत्य।

(1) अध्ययन, अनुसंधान, शिक्षा तथा शिक्षण के लिए विश्वविद्यालय तथा ऐसे केन्द्रों का प्रशासन तथा प्रबंधन करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रोत्साहन में आवश्यक हों ,

(2) विधि तथा सहबद्ध विषयों से संबंधित ज्ञान या विद्या की समस्त शाखाओं में शिक्षण की व्यवस्था करना, जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे ;

(3) दूरस्थ विद्या/सतत् शिक्षा कार्यक्रमों सहित विभिन्न ढंगों के माध्यम से अनुसंधान तथा विधि ज्ञान की उन्नति तथा प्रसार के लिए प्रबन्ध करना ;

(4) उपाधियों, पदवियों, उपाधि–पत्रों, प्रमाण–पत्रों तथा अन्य विशिष्टताओं को संस्थित करना ;

(5) परीक्षाएं आयोजित करवाना तथा उपाधियों, पदवियों, उपाधि–पत्रों, प्रमाण–पत्रों तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं व्यक्तियों को प्रदान करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित शर्तों के अध्यधीन ऐसी किन्हीं उपाधियों, पदवियों, उपाधि–पत्रों, प्रमाण–पत्रों तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को वापस लेना ;

(6) अध्यादेशों के अधीन यथा विहित फीस तथा अन्य प्रभार नियत करना, मांग करना तथा प्राप्त करना ;

(7) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए हॉल तथा छात्रावासों का निर्माण करना तथा रख–रखाव करना ;

(8) विशेषज्ञता अध्ययन केन्द्रों या अनुसंधान तथा शिक्षण हेतु अन्य इकाईयों की स्थापना करना जो विश्वविद्यालय की राय में इसके उद्देश्य के प्रोत्साहन हेतु आवश्यक हों ;

(9) विश्वविद्यालय के छात्रों तथा अमले के निवास का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना तथा अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य तथा आम कल्याण को उन्नत करने की व्यवस्था करना ;

(10) महिला छात्राओं के निवास, शिक्षण तथा अध्ययन के संबंध में ऐसे प्रबंध करना ;

(11) शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक, लिपिकीय तथा अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना ;

(12) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित करना तथा लागू करना तथा ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना, जो आवश्यक समझे जाएं ;

(13) आचार्य- पद, सह–आचार्य–पद, सहायक आचार्य–पद संस्थित करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अन्य शिक्षण, शैक्षणिक अथवा अनुसंधान पदों को सृजित करना ;

(14) विश्वविद्यालय में आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य के रूप में, अथवा अन्यथा अध्यापकों तथा अनुसंधान स्कॉलरस के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति करना ;

(15) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार तथा पदक संस्थित करना तथा प्रदान करना ;

(16) मुद्रण, पुनः प्रस्तुतीकरण तथा अनुसंधान तथा अन्य कार्यों के प्रकाशन की व्यवस्था करना तथा प्रदर्शनियां आयोजित करना ;

(17) विधि, न्याय तथा सामाजिक विकास के समस्त पहलुओं में अनुसंधान प्रायोजित करना तथा उत्तरदायित्व लेना ;

(18) विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर विधि, न्याय, सामाजिक विकास तथा सहबद्ध विषयों तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जिन पर सहमत हो, में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के मामले में किन्ही अन्य संगठनों के साथ सहयोग करना ;

(19) अध्यापकों तथा स्कॉलरस तथा सामान्यतः ऐसी रीति में जो आम उद्देश्यों के लिए सहायक हों, के आदान–प्रदान द्वारा विश्वविद्यालय के पूर्णरूप से या अन्यथा समरूप उद्देश्य रखने वाले विश्व के किसी भी भाग में उच्चतर विद्या की संस्थाओं से सहयोग करना ;

(20) विश्वविद्यालय के व्यय को विनियमित करना तथा लेखों का प्रबंध करना ;

(21) विश्वविद्यालय के परिसरों के भीतर अथवा अन्य कहीं ऐसे विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अध्ययन हॉलों की स्थापना करना तथा उनका रखरखाव करना, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे तथा समरूप पर्याप्तता जुटाने के लिए ऐसे पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना करना तथा रखरखाव करना जो विश्वविद्यालय के लिए सुविधाजनक अथवा आवश्यक प्रतीत होते हो ;

(22) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अनुदान, परिदान, अंशदान, दान तथा उपहार, प्राप्त करना ;

(23) कोई भूमि अथवा भवन अथवा संकर्म खरीदना, पट्टे पर लेना, अथवा उपहार के रूप में स्वीकार करना अथवा अन्यथा जो विश्वविद्यालय के पयोजन के लिए, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो वह उचित समझे तथा किसी ऐसे भवन अथवा संकर्म को ठीक रखने, निर्मित करने अथवा परिवर्तन करने तथा रखरखाव के लिए आवश्यक अथवा सुविधाजनक हो ;

(24) विश्वविद्यालय की चल अथवा अचल सम्पत्तियों के समस्त अथवा किसी हिस्से को बेचना, विनियमन करना, पट्टे पर देना अथवा अन्यथा विनियोजन करना, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जिसे विश्वविद्यालय के हितों तथा गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उचित तथा ठीक समझे ;

(25) भारत सरकार तथा अन्य वचन पत्रों, हुंडी, चैक या अन्य परक्राम्य दस्तावेजों का आहरण तथा स्वीकार करना, तैयार करना तथा पृष्ठांकन करना, कटौती करना तथा परक्राम्य करना ;

(26) चल अथवा अचल सम्पत्ति के संबंध में जिसमें विश्वविद्यालय से संबंधित सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं अथवा विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अर्जित की जानी है, के संबंध में हस्तान्तरण, अन्तरण, पुनः हस्तान्तरण, बंधक, पट्टा, लाइसेंस तथा प्रबन्ध को निष्पादित करना ;

(27) विश्वविद्यालय के किसी कारबार के दस्तावेज अथवा संव्यवहार को निष्पादित करने के क्रम में जो वह ठीक समझे, किसी व्यक्ति की नियुक्ति ;

(28) विश्वविद्यालय के विभागों अथवा किसी कक्षा को छोड़ देना तथा बन्द करना ,

(29) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अनुदान प्राप्त करने वाले अन्य प्राधिकरणों के साथ करार करना ,

(30) ऐसे निबन्धन तथा शर्तों पर किसी प्रकार अथवा किस्म के धन, प्रतिभूतियां या सम्पत्ति का अनुदान स्वीकार करना, जो समीचीन समझा जाए ;

(31) बंध–पत्रों, बंधकों, वचन–पत्रों अथवा अन्य बाध्यताओं अथवा प्रतिभूतियों के आधार पर या समस्त या किन्हीं संपत्तियों पर धन उधार लेना तथा उगाहना तथा ऐसे निबन्धन तथा शर्तों पर, जैसे वह उचित समझे तथा विश्वविद्यालय की निधियों के समस्त खर्चे जो धन वसूलने से संबंधित हो, का भुगतान करना तथा उधार ली गई अथवा लिए गए ऋण के किसी धन पर पुनर्भुगतान करना तथा उसे छोड़ना ;

(32) विश्वविद्यालय की निधियों अथवा विश्वविद्यालय को सौंपे गए धन में अथवा ऐसी प्रतिभूतियों में अथवा निक्षेपों पर निवेश करना तथा ऐसी रीति में जो यह ठीक समझे तथा किन्हीं निवेशों को समय–समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखें ;

(33) ऐसे परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों तथा अन्य दस्तावेजों को तैयार करना जो समय–समय पर विश्वविद्यालय के कार्यों तथा प्रबन्ध को विनियमित करने के लिए तथा इसकी सम्पत्तियों को परिवर्तित करने, रूपान्तरित करने तथा निरसित करने के लिए आवश्यक समझे गए हो ;

(34) शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक अधिकारियों तथा अन्य अमले के लाभांश ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो विहित परिनियमों, बीमा निधि, अंशदायी भविष्य–निधि तथा अन्य स्कीमों को संस्थित करना जिन्हें यह ठीक समझे तथा ऐसे अनुदान प्रदान करना जो विश्वविद्यालय के अमले के लाभांश के लिए ठीक समझे तथा जो विश्वविद्यालय के अमले के हित में हो और विश्वविद्यालय के अमले तथा छात्रों के लाभांश के लिए संघों, संस्थानों, निधियों तथा न्यासों की स्थापना तथा प्रोत्साहन के लिए सहायता करना ,

(35) परिनियमों में अधिकथित रीति में सम्मानिक उपाधियां तथा अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना ,

(36) कुलपति या किसी समिति अथवा इसकी निकाय के किसी एक या अनेक सदस्यों अथवा इसके अधिकारियों को अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों को प्रत्यायोजित करना ;

(37) ऐसे सभी अन्य कार्यों तथा विषयों को करना जो विश्वविद्यालय उपर्युक्त उद्देश्यों या उनमें से किसी उपलब्धि या अपवृद्धि के लिए सहायक या आनुषांगिक हो, आवश्यक समझा जाए।

अध्यापन। **6.** (1) विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाधि–पत्रों तथा प्रमाण–पत्रों से संबंधित सभी अध्यापन विनियमों द्वारा विहित पाठ्य विवरण के अनुसार चलाये जाएंगे।

(2) ऐसे पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यचर्यों के अध्यापन को संगठित करने के लिए पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्यों के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

7. (1) भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसका नामनिर्देशिती, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा, विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा। कुलाध्यक्ष।

(2) कुलाध्यक्ष जब उपस्थित होगा तब विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह तथा शासकीय परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

8. (1) राज्यपाल, हरियाणा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। कुलाधिपति।

(2) कुलाधिपति जब उपस्थित हो तथा कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह तथा शासकीय परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) कुलाधिपति, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निदेश करे, विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई किसी संस्था तथा उनके भवनों, पुस्तकालयों तथा उपकरणों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, अध्यापन तथा किए जाने वाले अन्य कार्य भी तथा विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से संबंधित किसी मामले के बारे में वैसी ही रीति में जांच करवाएगा।

(4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी सलाह दे सकता है जो वह ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में ठीक समझे।

(5) विश्वविद्यालय ऐसी सलाह पर की गई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई कुलाधिपति को संसूचित करेगा।

(6) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में किसी मामले पर मतभेद की दशा में जिस का अन्यथा समाधान न हो सकता हो, कुलाधिपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(7) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के कार्यों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की सलाह से विधि तथा विधिक शिक्षा में ख्याति प्राप्त व्यक्ति या व्यक्तियों को बुला सकता है।

अध्याय III

विश्वविद्यालय प्राधिकरण

9. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :— प्राधिकरण।

(क) शासकीय परिषद् ;

(ख) कार्य परिषद् ;

(ग) शैक्षिक परिषद् ;

(घ) वित्त समिति ; तथा

(ड.) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो समय–समय पर ऐसे परिनियमों द्वारा घोषित किए जाएं।

शासकीय परिषद् तथा इसकी पदावधि ।

10. (1) शासकीय परिषद् विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राधिकरण होगी तथा निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) कुलाधिपति जो अध्यक्ष होगा या कुलपति उसकी अनुपस्थिति में, तथापि कुलाध्यक्ष जब उपस्थित हो शासकीय परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा ;

(ख) कुलपति जो आयोजक होगा ;

(ग) मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ;

(घ) मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सरकार द्वारा नामनिर्देशित आसीन न्यायाधीशों या राज्य सरकार की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से दो सदस्य ;

(ङ.) अध्यक्ष, भारतीय विधिज्ञ परिषद् या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों में से उसके नामनिर्देशित सदस्य ;

(च) महाधिवक्ता, हरियाणा ;

(छ) राज्य सरकार की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी के विषय के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति ;

(ज) राज्य सरकार की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित कानून तथा शिक्षा के क्षेत्र में दो प्रतिष्ठित व्यक्ति ;

(झ) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग, हरियाणा सरकार या उसका नामनिर्देशिती ;

(ञ) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती ;

(ट) आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग या उसका नामनिर्देशिती ;

(ठ) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग या उसका नामनिर्देशिती ; तथा

(ड) सदस्य सचिव के रूप में कुलसचिव ।

(2) पद या नियुक्ति जिसे वह धारण करता है के कारण जब कोई व्यक्ति शासकीय परिषद् का सदस्य बनता है तो उसके द्वारा पद या नियुक्ति के छोड़ने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी ।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (घ), (छ) तथा (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा तथा किसी दशा में बढ़ाया नहीं जाएगा।

(4) शासकीय परिषद् का सदस्य, सदस्य के रूप में नहीं बना रहेगा यदि वह त्याग–पत्र दे देता है या वह पागल हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या किसी नैतिक अद्यमता वाले किसी आपराधिक अपराध का दोषसिद्ध है। कुलपति से भिन्न कोई सदस्य, सदस्य के रूप में भी नहीं बना रहेगा यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है या यदि वह, पदेन सदस्य नहीं रहते हुए कुलाधिपति की अनुमति के बिना शासकीय परिषद् की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित होने में असफल रहता है।

(5) पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य कुलाधिपति को संबोधित पत्र के द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है तथा ऐसा त्याग पत्र उनके द्वारा स्वीकार करते ही यथाशीघ्र प्रभावी होगा।

(6) शासकीय परिषद् में कोई रिक्ति संबंधित प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी, जो उसके लिए हकदार बनाती हो तथा इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया व्यक्ति सदस्य के रूप में जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है या नामनिर्देशित किया गया है केवल उस समय तक पद धारण करेगा यदि रिक्ति न होती तो वह पद धारण कर रहा होता।

शासकीय परिषद् की शक्तियां, कृत्य तथा बैठकें।

11. (1) शासकीय परिषद् विश्वविद्यालय का पूर्ण प्राधिकार होगी और समय–समय पर विश्वविद्यालय की सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों को बनायेगी और समीक्षा करेगी और विश्वविद्यालय में सुधार और विकास के उपाय निकालेगी तथा उसकी निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य भी होंगे; अर्थात् :–

(क) कार्यकारी परिषद् द्वारा तैयार वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण तथा बजट प्राक्कलन पर विचार तथा उसे पास करना तथा उपान्तरण सहित या के बिना उन्हें अपनाना ;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अधिकारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनायी जाने वाली विहित प्रक्रियाओं सहित विश्वविद्यालय के प्रशासनिक मामलों संबंधी परिनियम बनाना।

(2) शासकीय परिषद् वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी। शासकीय परिषद् की वार्षिक बैठक कार्यकारी परिषद् द्वारा नियत की जाने वाली तिथि को होगी, जब तक किसी वर्ष के संबंध में शासकीय परिषद् द्वारा कोई अन्य तिथि नियत नहीं की गई है।

(3) प्राप्ति तथा व्यय का विवरण, यथा लेखा–परीक्षित तुलनपत्र तथा वित्तीय प्राक्कलनों सहित गत वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट कुलपति द्वारा शासकीय परिषद् को उसकी वार्षिक बैठकों में प्रस्तुत की जायेगी।

(4) शासकीय परिषद् की बैठकें कुलाधिपति द्वारा या कुलपति द्वारा या तो स्वयं या शासकीय परिषद् के कम से कम दस सदस्यों के अनुरोध पर बुलाई जायेगी।

(5) शासकीय परिषद् की प्रत्येक बैठक के लिये पन्द्रह दिन का नोटिस दिया जाएगा।

(6) शासकीय परिषद् की सूची पर विद्यमान सदस्यों की एक-तिहाई गणपूर्ति के रूप में होगी।

(7) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि शासकीय परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मतों की समानता होती है तो बैठक की अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति के पास एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

(8) सदस्यों के बीच राय की भिन्नता की दशा में, बहुमत की राय पर सहमति होगी।

(9) यदि शासकीय परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई करनी जरूरी हो जाती है, तो कुलाधिपति शासकीय परिषद् के सदस्यों को पेपर के परिचालन द्वारा संव्यवहारित किए जाने वाले कारबार को अनुज्ञात कर सकता है। इस प्रकार की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक शासकीय परिषद् के ज्यादातर सदस्य सहमत न हों। इस प्रकार की गई कार्रवाई से शासकीय परिषद् के सभी सदस्यों को तुरन्त सूचित किया जायेगा। पेपर पुष्टि के लिए शासकीय परिषद् की आगामी बैठक के समक्ष रखे जाएंगे। यदि संबंधित प्राधिकारी निर्णय लेने में असफल हो जाता है, तो मामले को कुलाधिपति को भेजा जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

कार्यकारी परिषद्।

12. (1) कार्यकारी परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) सभापति के रूप में विश्वविद्यालय का कुलपति ;

(ख) अध्यक्ष, भारतीय विधिज्ञ परिषद्, या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों में से उसका नामनिर्देशिती ;

(ग) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग या उसका नामनिर्देशिती ;

(घ) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती ,

(ङ.) सरकार की सिफारिश पर तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विश्वविद्यालय से बाहर के विधि के तीन आचार्य ;

(च) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विश्वविद्यालय के तीन अध्यापक, जिनमें से, दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम द्वारा, एक आचार्यों में से होगा, एक सह–आचार्यों में से होगा तथा एक सहायक आचार्यों में से होगा ; तथा

(छ) दो वर्ष की अवधि के लिए, स्वयं में से चुने जाने वाले, आचार्यों से भिन्न विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों के दो अध्यापक।

(2) पद या नियुक्ति जिसे वह धारण करता है के कारण जब कोई व्यक्ति कार्यकारी परिषद् का सदस्य बनता है तो उसके द्वारा पद या नियुक्ति के छोड़ने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(3) कार्यकारी परिषद् का सदस्य, सदस्य के रूप में नहीं बना रहेगा, यदि वह त्याग–पत्र दे देता है या वह पागल हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या किसी नैतिक अधमता वाले किसी आपराधिक अपराध का दोषसिद्ध है। कुलपति या अध्यापक से भिन्न कोई सदस्य, सदस्य के रूप में भी नहीं बना रहेगा यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है, या यदि वह, अध्यापक होते हुए कुलपति की अनुमति के बिना कार्यकारी परिषद् की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित होने में असफल रहता है।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न कार्यकारी परिषद् का सदस्य कुलपति को संबोधित पत्र के द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है तथा ऐसा त्याग पत्र उनके द्वारा स्वीकार करते ही यथाशीघ्र प्रभावी होगा।

(5) कार्यकारी परिषद् में कोई रिक्ति नामनिर्देशन या निर्वाचन जैसी भी स्थिति हो, द्वारा भरी जाएगी तथा रिक्ति की अवधि की समाप्ति पर, ऐसा सदस्य पद धारण नहीं करेगा।

13. (1) कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होगी तथा, ऐसे रूप में, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए सभी आवश्यक शक्तियां रखेगी तथा उक्त प्रयोजन के लिए विनियम बना सकती है। कार्यकारी परिषद् की शक्तियां, कृत्य तथा बैठकें।

(2) कार्यकारी परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :

(क) शासकीय परिषद् वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और इसे उसकी वार्षिक बैठकों में प्रस्तुत करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा :–

(i) विश्वविद्यालय के कार्य पर रिपोर्ट ;

(ii) लेखों का विवरण ; तथा

(iii) आगामी शैक्षिक वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव ;

(ख) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे, निवेश, सम्पत्ति, कारबार तथा सभी अन्य प्रशासनिक मामलों को नियंत्रित तथा विनियमित करना तथा उस प्रयोजन के लिए समितियां गठित करना तथा विश्वविद्यालय की ऐसी समितियों या ऐसे अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित करना जिन्हें वह ठीक समझें ;

(ग) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कोई भी धन, जिसमें उपयोग में न लाई गई कोई आय भी शामिल है, ऐसे स्टॉकों, निधियों, हिस्सों या प्रतिभूतियों में जिन्हें वह समय--समय पर ठीक समझे या समय--समय पर ऐसे निवेशों में परिवर्तन करने की उसी प्रकार की शक्तियों सहित भारत में अचल सम्पत्ति की खरीद में निवेश करना ;

(घ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण स्वीकार करना ;

(ङ.) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, फेरबदल करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा रद्द करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारी नियुक्त करना, जो वह ठीक समझे ;

(च) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए भवनों, परिसरों, फर्नीचर तथा उपकरण तथा अन्य आवश्यक साधनों की व्यवस्था करना ;

(छ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों तथा कर्मचारियों की किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, न्यायपूर्ण उनका निपटान करना तथा यदि वह ठीक समझे उनको दूर करना ;

(ज) अध्यापन, प्रशासनिक, अनुसचिवीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा परिलब्धियां निर्धारित करना, ऐसे सेवा निबन्धनों तथा शर्तों पर ऐसे पदों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं विनिर्दिष्ट करना जो इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा विहित की जाए ,

(झ) परीक्षक तथा संचालक नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना तथा शैक्षिक परिषद् से परामर्श करने के बाद, उनकी फीस, परिलब्धियां तथा यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना ;

(ञ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा चयनित करना ; तथा

(ट) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करना जो आवश्यक समझे जाएं या इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उस पर अधिरोपित किए जाएं।

(3) कार्यकारी परिषद् तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी तथा ऐसी बैठकों के लिए कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस दिया जाएगा।

(4) कार्यकारी परिषद् की बैठक कुलपति के अनुदेशों के अधीन या कार्यकारी परिषद् के कम से कम पांच सदस्यों के अनुरोध पर कुलसचिव द्वारा बुलाई जाएगी।

(5) किसी बैठक में कार्यकारी परिषद् के एक–तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(6) सदस्यों के बीच राय की भिन्नता की दशा में बहुमत की राय पर सहमति होगी।

(7) कार्यकारी परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि वहां कार्यकारी परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मतों की बराबरी हो तो कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, का निर्णायक मत होगा।

(8) कार्यकारी परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य द्वारा की जाएगी।

(9) यदि कार्यकारी परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई करना जरूरी हो जाती है तो कुलपति सदस्यों को पेपर के परिचालन द्वारा संव्यवहारित किए जाने वाले कारबार को अनुज्ञात कर सकता है। इस प्रकार की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति नहीं हो जाती है। इस प्रकार की गई कार्रवाई तुरन्त सभी सदस्यों को सूचित की जाएगी। पेपर पुष्टि के लिए आगामी बैठक के समक्ष रखे जाएंगे। यदि संबंधित प्राधिकारी निर्णय लेने में असफल हो जाता है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

14. (1) शैक्षिक परिषद् निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी, अर्थात् :– शैक्षिक परिषद्।

(क) कुलपति जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्व या विधिक व्यवसाय के सदस्यों या प्रतिष्ठित जन–साधारण में से तीन व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है सरकार की सिफारिशों पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट ;

(ग) महानिदेशक / निदेशक उच्चतर शिक्षा या उसका नामनिर्देशिती ;

(घ) भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों में से इसका नामनिर्देशिती ;

(ङ.) सभी संकायों के डीन ;

(च) सभी विभागाध्यक्ष ;

(छ) कुलपति द्वारा बारी–बारी से दो वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट अध्ययन स्टॉफ के दो सदस्य, विश्वविद्यालय के सह–आचार्य तथा सहायक आचार्य का क्रमशः प्रतिनिधित्व करने वाले एक–एक सदस्य।

(2) पदेन सदस्यों तथा जिनकी पदावधि उपधारा (1) के खण्ड (छ) में विनिर्दिष्ट है, से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

शैक्षिक परिषद् की शक्तियां, कृत्य तथा बैठकें।

15. (1) इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंधों तथा कार्यपरिषद् की समूची देख–रेख के अध्यधीन रहते हुए, शैक्षिक परिषद् विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों तथा मामलों की देख–रेख करेगी तथा उसकी विशिष्टतौर पर निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(क) शासकीय परिषद् या कार्यकारी परिषद् द्वारा इसको निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किसी मामले पर रिपोर्ट देना ;

(ख) अध्यापन पदो के सृजन, समापन या वर्गीकरण तथा योग्यताओं, परिलाभों तथा उससे जुड़े हुए कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में कार्यकारी परिषद् को सिफारिश करना ;

(ग) संकायों के संगठन के लिए स्कीमों को सूचीबद्ध, उपांतरित या पुनरीक्षित करना तथा ऐसे संकायों को उनके संबंधित विषयों को सौंपना तथा कार्यकारी परिषद् को किसी संकाय के समापन या उप–विभाजन या किसी संकाय का किसी अन्य संकाय के साथ सम्मिलन के औचित्य की रिपोर्ट करना ;

(घ) विश्वविद्यालय में भर्ती से अन्यथा व्यक्तियों के शिक्षण तथा परीक्षण के लिए प्रबन्धों की सिफारिश करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के भीतर अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा समय–समय पर ऐसे अनुसंधान पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना ,

(च) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना ;

(छ) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए नीतियां अधिकथित करना ;

(ज) अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के उपाधिपत्रों तथा उपाधियों को मान्यता देने की सिफारिश करना तथा विश्वविद्यालय के प्रमाण–पत्रों, उपाधिपत्रों तथा उपाधियों के संबंध, में उनकी समकक्षता अवधारित करना ;

(झ) शासकीय परिषद् द्वारा अनुमोदित किन्हीं शर्तों के अध्यधीन अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों के लिए समय, ढंग तथा प्रतियोगिता की शर्तें नियत करना तथा उनको प्रदान करने के लिए सिफारिश करना ;

(ञ) परीक्षकों की नियुक्ति तथा यदि आवश्यक हो, उनको हटाने, उनकी फीसें, परिलाभों, यात्रा तथा अन्य खर्चों को नियत करने के संबंध में कार्यकारी परिषद् को सिफारिशें करना ;

(ट) परीक्षाओं के संचालन तथा उनको आयोजित करने के लिए तिथियों के लिए व्यवस्थाओं की सिफारिश करना ;

(ठ) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम का पुनर्विलोकन करना या ऐसा करने के लिए समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना तथा डिग्रियों, उपाधियों (मान), डिप्लोमों, अनुज्ञप्तियों, मानोपाधियों तथा सम्मान चिह्नों को प्रदत्त या प्रदान करने के संबंध में सिफारि करना ;

(ड) वृत्तियां, छात्रवृत्तियां, मैडलस तथा पुरस्कारों की सिफारिश करना तथा विनियमों तथा ऐसी अन्य शर्तों जो अवार्ड़ों के साथ जुड़ी हों के अनुसार अन्य अवार्ड़ देना ;

(ढ) विहित तथा सिफारिश की गई पाठ्य पुस्तकों की सूची अनुमोदित करना या पुनरीक्षित करना तथा अध्ययन के विहित पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या प्रकाशित करना ;

(ण) ऐसे फार्मों तथा रजिस्टरों का अनुमोदन करना जो समय–समय पर विनियमों द्वारा अपेक्षित हो ;

(त) विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम तथा विषय–वस्तु की रूप रेखा तैयार करने के लिए समय–समय पर विधिक शिक्षा के वांछित मानकों को तैयार करना ;

(थ) शैक्षणिक मामलों से संबंधित सभी ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करना तथा ऐसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन करने के लिए आवश्यक हों।

(2) शैक्षिक परिषद् जब भी आवश्यक होगा बैठक बुलाएगी परन्तु ये बैठकें एक शैक्षिक वर्ष के दौरान दो बार से कम नहीं होंगी।

(3) शैक्षिक परिषद् के विद्यमान आधे सदस्यों से बैठक के लिए कोरम बनेगा।

(4) सदस्यों में राय की भिन्नता की दशा में बहुमत की राय पर सहमति होगी।

(5) शैक्षिक परिषद् के प्रत्येक सदस्य, जिनमें शैक्षिक परिषद् का अध्यक्ष भी शामिल है, को एक मत का अधिकार होगा और यदि शिक्षा परिषद् द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मतों की संख्या बराबर–बराबर रहती है तो शैक्षिक परिषद् के अध्यक्ष या उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य जैसी भी स्थिति हो, के पास एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

(6) शैक्षिक परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उस अवसर पर बैठक में चुने सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।

(7) यदि शैक्षिक परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई करनी जरूरी हो जाती हैं, तो अध्यक्ष शैक्षिक सदस्यों को पेपर के परिचालन द्वारा संव्यवहारित किए जाने वाले कारबार को अनुज्ञात कर सकता है। इस प्रकार की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति नहीं हो जाती है। इस प्रकार की गई कार्रवाई तुरन्त सभी सदस्यों को सूचित की जाएगी। पेपर पुष्टि के लिए आगामी बैठक के समक्ष रखे जाएंगे। यदि संबंधित प्राधिकारी निर्णय लेने में असफल हो जाता है, तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

वित्त समिति।

16. (1) वित्त समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(I) पदेन सदस्य,–

(क) कुलपति (अध्यक्ष) ;

(ख) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग या उसका नामनिर्देशिती ;

(ग) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती ; तथा

(घ) महानिदेशक/निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती।

(II) अन्य सदस्य–

(क) कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला वित्त में विशेषज्ञीय जानकारी रखने वाला एक बाहरी सदस्य ;

(ख) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले संकायों के दो डीन।

(2) कुलसचिव समिति का सदस्य सचिव होगा।

(3) वित्त समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(4) तीन सदस्य जिनमें से कम से कम एक सदस्य सरकार का नामनिर्देशिती होगा, गणपूर्ति करेंगे।

(5) वित्त समिति के कृत्य तथा कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट की जांच तथा संवीक्षा करना तथा वित्तीय मामलों पर कार्यकारी परिषद् को सिफारिश करना ,

(ख) नए खर्चों के लिए सभी प्रस्तावों पर विचार करना तथा कार्यकारी परिषद् को सिफारिश करना ;

(ग) आवधिक लेखा विवरणियों पर विचार करना तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय के वित्तों की पुनरीक्षण करना तथा पुनर्विनियोजन विवरणियों तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना तथा कार्यकारी परिषद् को सिफारिशें करना ;

(घ) विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय प्रश्न पर या तो अपनी तरफ से या कार्यकारी परिषद् या कुलपति द्वारा संदर्भित किए जाने पर कार्यकारी परिषद् को अपनी राय देना तथा सिफारिश करना ;

(6) वित्त समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष में कम से कम तीन बार होगी।

(7) वित्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता कुलपति करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में बैठक में चयनित किया गया सदस्य अध्यक्षता करेगा।

(8) सदस्यों में राय की भिन्नता की दशा में, उपस्थित सदस्यों के बहुमत की राय पर सहमति होगी।

(9) प्रत्येक सदस्य जिसमें कुलपति भी शामिल है, का एकमत होगा तथा यदि निर्धारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मतों की संख्या में समानता बराबर-बराबर रहती है, तो अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, के पास एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

अध्याय IV

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

17. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

(क) कुलपति

(ख) कुलसचिव

(ग) विभागाध्यक्ष; तथा

(घ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

कुलपति।

18. (1) कुलपति शैक्षिक/प्रशासकीय व्यक्ति तथा उत्कृष्ट विद्वान होगा। वह विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) सरकार कुलाधिपति का एक नामजद व्यक्ति तथा राज्य सरकार के दो नामजद व्यक्तियों को मिलाकर एक जांच--पड़ताल समिति गठित करेगी, जो वर्णक्रमानुसार कम से कम तीन नामों का एक पैनल तैयार करेगी, जिसमें से कुलाधिपति सरकार के परामर्श पर, कुलपति नियुक्त करेगा। वित्तायुक्त तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग जांच--पड़ताल समिति का संयोजक होगा।

(3) कुलपति की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

(4) कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसे एक अवधि से अधिक के लिए नवीकृत नहीं किया जा सकता :

परन्तु कोई भी व्यक्ति कुलपति के पद के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा या बना नहीं रहेगा यदि वह 68 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है।

(5) यदि कुलपति का पद मृत्यु, त्याग-पत्र के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है या यदि वह अस्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्त्तव्य करने में असमर्थ है, तो कुलाधिपति को नए कुलपति द्वारा अपना पद ग्रहण किए जाने तक या वर्तमान कुलपति द्वारा अपने पद के कर्त्तव्य ग्रहण किए जाने तक, जैसी भी स्थिति हो, कुलपति के कृत्यों को करने के लिए प्रशासक/परिषद्सदस्य को पदनामित करने का प्राधिकार होगा।

(6) कुलपति—

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंधों को विधिवत् पालन किया जाता है, और उसके पास इस प्रयोजन के लिए सभी यथावश्यक शक्तियां होंगी :

(ख) शासकीय परिषद्, कार्यकारी परिषद्, शैक्षिक परिषद् की बैठकें बुलाएगा और इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए सभी यथावश्यक ऐसे अन्य कार्य करेगा ;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में शासकीय परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ;

(घ) चयन समिति की सिफारिशों पर कुलाधिपति के साथ परामर्श करके अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष, वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ;

(ड.) विनियमों के अनुसार उक्त अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ;

(च) के पास विश्वविद्यालय में उपयुक्त अनुशासन बनाए रखने संबंधी सभी शक्तियां होंगी ;

(छ) यदि उसकी राय में कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, तो वह ऐसी कार्रवाई करेगा, जो वह उचित समझे और उस प्राधिकरण की अगली बैठक में पुष्टि करने के लिए इसकी सूचना देगा जो सामान्यतः मामले का निपटान करेगा।

19. (1) कुलसचिव, यथाविहित परिनियमों द्वारा ऐसी रीति में सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कुलसचिव विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों, समितियों तथा अन्य निकायों का पदेन सचिव होगा। वह बैठकों के कार्यवृत्त लिखेगा तथा अनुरक्षण करेगा ; कुलसचिव।

(2) कुलसचिव विश्वविद्यालय के प्रशासन संबंधी सभी मामलों में कुलपति का प्रमुख सहायक होगा।

20. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रथम कुलपति तथा प्रथम कुलसचिव को सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा ऐसी अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा जो सरकार द्वारा समुचित समझी जाए। प्रथम कुलपति तथा प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति।

21. (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग हेतु एक अध्यक्ष होगा। विभागाध्यक्ष।

(2) विभागाध्यक्ष की शक्तियां, कृत्य, नियुक्ति तथा सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा यथा विहित होंगी।

22. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति तथा शक्तियां तथा कर्त्तव्यों की रीति ऐसी होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं। अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी।

चयन समिति।

23. अध्यापन तथा अध्यापनेतर अमले की किसी नियुक्ति के लिए चयन समिति ऐसी होगी जो परिनियमों के अधीन विहित की जाए।

परिनियम तथा उनका क्षेत्र।

24. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकता है, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियां तथा कृत्य ;

(ख) कुलपति तथा कुलसचिव से भिन्न विश्वविद्यालय के आचार्य, सह-आचार्य तथा सहायक आचार्य तथा अध्यापनेतर अमले की नियुक्ति के लिए अध्यापकों तथा अधिकारियों का वर्गीकरण, की नियुक्ति का ढंग, शक्तियां तथा कर्त्तव्यों के लिए चयन समितियों का गठन ;

(ग) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनमें उनके लाभ के लिए अंशदायी भविष्य निधि या बीमा योजना के लिए उपबन्ध शमिल हैं ;

(घ) सम्मानिक उपाधियां प्रदान करना ;

(ड.) संकायों तथा विभागों की स्थापना तथा समाप्ति ;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, प्रदर्शनियों, पदकों तथा पुरस्कारों को संस्थापित करना ;

(छ) छात्रों में अनुशासन बनाए रखना ;

(ज) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन ; तथा

(झ) सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम द्वारा, उपबन्धित किए जाने है या परिनियमों द्वारा उपबन्धित किए जा सकते हैं।

परिनियम बनाना।

25. विश्वविद्यालय के परिनियम कुलाधिपति के अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे। उन्हें शासकीय परिषद् के सम्मुख उसकी प्रथम बैठक में रखा जाएगा, जो उन्हें उपातन्तरण सहित या के बिना अपना सकता है।

अध्यादेश तथा उनका क्षेत्र।

26. इस अधिनियम तथा परिनियमों, अध्यादेशों के उपबंधों अध्यधीन निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकता है, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका इस रूप में नामावली में दर्ज किया जाना ;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षा, उपाधि तथा उपाधि-पत्रों में प्रवेश ;

(ग) शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की उपाधि या उपाधि–पत्र पाठ्यक्रमों तथा परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा तथा ऐसी उपाधियों तथा उपाधि–पत्रों के लिए पात्रता ;

(घ) विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा उपाधि–पत्रों में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें ; तथा आगे फीस के ढ़ांचे को उत्तरोत्तर इस प्रकार लचीला बनाना कि जहां तक हो सके पाठ्यक्रम स्वतः वित्त–पोषित हो सके ;

(ङ.) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, प्रदर्शन, पदकों तथा पुरस्कारों को प्रदान करने की शर्तें ;

(च) परीक्षाओं का संचालन, जिसमें परीक्षा निकायों, परीक्षकों तथा अनुसीमकों की पदावधि तथा नियुक्ति की रीति तथा कर्त्तव्य शामिल है ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों की निवास की शर्तें ; तथा

(ज) सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा बनाए जाने हैं या जो अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किए जाएं।

27. (1) अध्यादेश, कार्यकारी परिषद् द्वारा बनाए, संशोधित, निरसित तथा परिवर्धित किए जाएंगे : अध्यादेश बनाना।

परन्तु कोई भी अध्यादेश जो –

(i) छात्रों के प्रवेश या उनके नामांकन को अथवा विहित परीक्षाओं को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बराबर मान्यता दिए जाने को प्रभावित करने वाला हो ;

(ii) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें, ढ़ंग या उनके कर्त्तव्यों को या परीक्षाओं अथवा किन्हीं अध्ययन के पाठ्यक्रमों के संचालन या स्तर को प्रभावित करने वाला हो, तब तक नहीं बनाया जाएगा, जब तक ऐसे अध्यादेश का प्रारूप शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है।

(2) कार्यकारी परिषद् उपधारा (1) के अधीन शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को अपने सुझावों सहित या तो पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में विचारण के लिए शिक्षा परिषद् को लौटा सकती है :

परन्तु कार्यकारी परिषद्, शैक्षिक परिषद् द्वारा प्रस्तावित प्रारूप को स्वयं संशोधित नहीं करेगी। तथापि, वह ऐसे प्रारूप को अस्वीकार कर सकती है जब इसे शैक्षिक परिषद् द्वारा दूसरे समय के लिए प्रस्तुत किया जाए।

(3) कार्यकारी परिषद् द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश ऐसी तिथि से प्रभावी होंगे जो वह निदेश करे तथा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश कुलाधिपति को यथाशीघ्र संसूचित किया जाएगा।

विनियम।

28. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकते हैं, जो–

(क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करे ; तथा

(ख) ऐसे प्राधिकरण के सदस्यों को बैठकों की तिथियों तथा बैठकों में विचार किए जाने वाले कारबार की सूचना देने के लिए तथा बैठकों की कार्यवाहियों के अभिलेख रखने के लिए उपबन्ध करने ; तथा

(ग) किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जाएं।

अध्यापन और अध्यापनेतर पदों का सृजन।

29. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई अध्यापन तथा अध्यापनेतर पद सृजित नहीं करेगा या अध्यापन तथा अध्यापनेतर कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षित नहीं करेगा।

प्रवेश तथा आरक्षण।

30. विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सीटें हरियाणा राज्य के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। हरियाणा अधिवासी के लिए कुल आरक्षित सीटों का 1/5 उन भूस्वामियों के बच्चों के लिए आरक्षित होगा जिनकी भूमि राजीव गांधी शिक्षा शहर, सोनीपत के लिए सरकार की भूमि अर्जन नीति के अधीन अर्जित की गई है। आगे, इन 1/5 सीटों पर प्रवेश सामूहिक विधि प्रवेश परीक्षा (सी.एल.ए.टी.) में मैरिट के आधार पर किया जाएगा। समय–समय पर यथा संशोधित राज्य सरकार की आरक्षण नीति हरियाणा अधिवास छात्रों को लागू होगी।

वार्षिक रिपोर्ट।

31. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट व्यापक प्रोग्राम, पॉलिसी तथा वित्त, रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान किये गये परिनियमों तथा अध्यादेशों के संशोधनों के ब्यौरे देते हुए, कार्यकारी परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार की जाएगी तथा परिनियमों द्वारा यथा विहित ऐसी तिथि को या के बाद शासकीय परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी तथा शासकीय परिषद् इसकी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

वार्षिक लेखे।

32. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा तुलन–पत्र कार्यकारी परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किए जाएंगे तथा निदेशक, स्थानीय लेखा–परीक्षा, हरियाणा या किसी अन्य लेखा परीक्षक द्वारा, जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए, प्रत्येक वर्ष तथा पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तराल पर कम से कम एक बार लेखा–परीक्षा की जाएगी। वार्षिक लेखों की जब लेखा–परीक्षा हो जाए, हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा निदेशक, स्थानीय लेखा–परीक्षा, हरियाणा या लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखों की प्रति कार्यकारी परिषद् की टिप्पणियों सहित शासकीय परिषद् तथा कुलाधिपति को भेजी जाएगी। कुलाधिपति द्वारा वार्षिक लेखों पर की गई किन्हीं टिप्पणियों को शासकीय परिषद् के ध्यान में

लाया जाएगा तथा शासकीय परिषद् की टिप्पणियां, यदि कोई हों, कार्यकारी परिषद् द्वारा विचारण के बाद कुलाधिपति को भेजी जाएंगी।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा तुलन–पत्र कुलाधिपति को इनकी प्रस्तुति के समय सरकार को भी भेजे जाएंगे।

अध्याय V

सामान्य

33. यदि शैक्षिक परिषद् के सदस्य जो दो तिहाई से कम न हों, सिफारिश करते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई मानद् उपाधि या शैक्षिक विशेषज्ञता उपाधि इस आधार पर प्रदान की जाए कि वह व्यक्ति, उनकी राय में, किसी पद की उत्कृष्ट प्राप्ति के कारण से ऐसी उपाधि अथवा शैक्षिक विशेषज्ञता उपाधि प्राप्त करने के लिए सही तथा उपयुक्त है, तो शासकीय परिषद्, संकल्प द्वारा, निर्णय ले सकती है कि यह उपाधि सिफारिश किए गए व्यक्ति को प्रदान कर दी जाए। सम्मानिक उपाधियां।

34. (1) शासकीय परिषद्, कार्यकारी परिषद् की सिफारिश पर, शासकीय परिषद् की कुल सदस्यता के बहुमत तथा शासकीय परिषद् की बैठक में उपस्थित सदस्यों, जो दो तिहाई से कम न हों, के बहुमत तथा मतदान द्वारा पारित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त अथवा अनुदत्त शैक्षिक विशेषज्ञता उपाधि, उपाधि, उपाधि–पत्र अथवा विशेषाधिकार को वापस ले सकती है, यदि ऐसा व्यक्ति किसी अपराध के लिए किसी विधि न्यायालय द्वारा सिद्धदोषी ठहराया गया है, जो शासकीय परिषद् की राय में नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त है अथवा वह घोर अवचार का दोषी है। उपाधि अथवा उपधि–पत्र वापस लेना।

(2) उप धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक उसे की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने के लिए अवसर न दे दिया गया हो।

(3) शासकीय परिषद् द्वारा पारित संकल्प की प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को तुरन्त भेजी जाएगी।

(4) शासकीय परिषद् के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन के भीतर कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(5) ऐसी अपील में कुलाधिपति का निर्णय अन्तिम होगा।

35. (1) इस अधिनियम अथवा तत्सम लागू किसी अन्य राज्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय से अन्यथा कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था, विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर इसे सौंपे गए ज्ञान के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में जो अप्राधिकृत संस्थाओं द्वारा उपाधियो, उपाधि- पत्रों अथ प्रमाण--पत्रों के प्रदान किए जाने, अनुदत्त किए जाने अ जारी किए जाने पर वर्जन।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान, अनुदत्त या जारी की गई किसी उपाधि, उपाधि–पत्र अथवा प्रमाण–पत्र के समरूप हो या उसकी मिलती जुलती नकल का हो; कोई उपाधि, उपाधि–पत्र अथवा प्रमाण–पत्र प्रदान, अनुदत्त या जारी नहीं करेगा/करेगी अथवा स्वयं को ऐसी कोई उपाधि, उपाधि–पत्र या प्रमाण–पत्र प्रदान, अनुदत्त या जारी करने के लिए हकदार प्रकट नहीं करेगा।

(2) उप–धारा (1) के उपबन्धों की उल्लंघना में तीन वर्ष से अनधिक के कारावास से या दस हजार रुपए से अनधिक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय संज्ञेय अपराध होगा।

(3) जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी महाविद्यालय अथवा संस्था द्वारा किया गया हो, वहां अपराध किये जाने के समय पर इसके कारबार संचालन के लिए महाविद्यालय अथवा संस्था का प्रभारी तथा उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा विधि अनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होगा।

(4) उप–धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस धारा के अधीन किया गया कोई अपराध किसी संस्था द्वारा किया गया है तथा यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध संस्था के किसी अधिकारी की सहमति अथवा मौनानुकूलता से किया गया है, अथवा अपराध का किया जाना उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जाता है, तो वहां ऐसा अधिकारी भी उस उपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदानुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किये जाने के लिए दायी होगा।

व्याख्या .– इस धारा के प्रयोजन के लिए "संस्था" से अभिप्राय है, कोई निगमित निकाय और इसमें कोई फर्म या अन्य व्यष्टि संगम भी शामिल हैं।

अनुशासन ।

36. (1) विश्वविद्यालय के विधार्थियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए अन्तिम उत्तरदायी प्राधिकारी कुलपति होगा। इस निमित्त इसके निदेशों की पालना विभागों, छात्रावासों तथा संस्थाओं के अध्यक्षों द्वारा की जाएगी।

(2) किसी विधार्थी को परीक्षा से बहिष्कृत अथवा विश्वविद्यालय से निष्कासित करने का दण्ड कुलपति द्वारा अधिरोपित किया जाएगा तथा कुलपति द्वारा लिया गया निर्णय कार्यकारी परिषद् द्वारा उसकी अगली बैठक में विचारा जाएगा :

परन्तु ऐसा दण्ड सम्बन्धित छात्र को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

विश्वविद्यालय का सभी मूलवंशों, वर्गों, जातियों तथा पंथ के लिए खुला होना।

37. विश्वविद्यालय मूलवंश, पंथ, जाति अथवा वर्ग को विचार में लाए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा; तथा सदस्यों, छात्रों, अध्यापकों, कर्मकारों के प्रवेश अथवा नियुक्त करने में, अथवा किसी अन्य सम्बन्ध में चाहे जो भी हो, धर्म, श्रद्धा, विश्वास अथवा वृत्ति

के बारे में कोई परीक्षा या शर्त अधिरोपित नहीं की जाएगी और ऐसा कोई धर्मदान स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसमें विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की राय में, इस उपबन्ध के भाव तथा उद्देश्यों के विरुद्ध शर्तें अथवा बाध्यतायें आती हों :

परन्तु इस धारा में दी गई कोई भी बात विश्वविद्यालय को समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन–जातियों के संबंध में किन्हीं विशेष उपबन्धों को करने से रोकने वाली नहीं समझी जायेगी।

रिक्ति इत्यादि के कारण कोई कार्य अथवा कार्यवाह का अविधिमान्य नहीं होना

38. शासकीय परिषद्, कार्यकारी परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अधिकारी या निकाय द्वारा किए गए किसी कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या उसके गठन में असफल होने के आधार पर अविधिमान्य या प्रश्नगत नही होगी।

सरक्षण।

39. विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी बात के लिए जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गई है या किए जाने के लिए आशयित के कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

अध्यारोही प्रभाव।

40. इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबन्ध किसी अन्य राज्य विधि या तत्समय लागू विधि का बल रखने वाली लिखित में अन्तर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी प्रभाव रखेंगे।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

41. यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के प्रथम गठन अथवा पुनर्गठन या इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने से अन्यथा कोई कठिनाई पैदा होती है, तो सरकार, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्असंगत ऐसे उपबन्ध बना सकती है, जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

प्रायोजित स्कीमें।

42. जब विश्वविद्यालय किसी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित किसी स्कीम को प्रायोजित करने वाले अन्य अभिकरणों से निधि प्राप्त करता है, तो इस अधिनियम में किसी बात के होते भी,–

(क) प्राप्त राशि विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय निधि से अलग रखी जाएगी तथा केवल स्कीम के प्रयोजन हेतु उपयोग में लाई जायेगी; तथा

(ख) स्कीम के निष्पादन हेतु अपेक्षित अमला प्रायोजन करने वाले संगठन द्वारा अनुबन्धित निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार भर्ती किया जाएगा :

परन्तु यदि विश्वविद्यालय पदों के सृजन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ऐसे अनुदान प्राप्त करता है, तो वह राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

विश्वविद्यालय अभिलेख के सबूत का ढंग।

43. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की कोई प्राप्ति, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही, संकल्प की प्रति या विश्वविद्यालय के कब्जे में अन्य दस्तावेज, या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर में कोई प्रविष्टि, यदि कुल–सचिव द्वारा प्रमाणित की गई है, तो ऐसी प्राप्ति, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही, संकल्प, दस्तावेज अथवा रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता को साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जाएगा तथा उन मामलों तथा संव्यवहारों में जहां उसके मूल, यदि प्रस्तुत किए गए हैं, साक्ष्य में ग्राहय हैं, साक्ष्य के रूप में अनुज्ञात होंगे।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

शैक्षणिकता, वादकरण, निगमन कार्यप्रणाली, सरकार और नागरिक समाज में प्रशिक्षित कानूनी सेविवर्ग की आवश्यकता है। यह मांग विशेषतः पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है और यह उम्मीद है कि आने वाले समय में यह मांग कहीं अधिक तेजी से बढ़ेगी। हरियाणा में कानूनी शिक्षा पर एक स्पष्ट दीर्घकालिक उत्कृष्टता के लिए एक सतत प्रतिबद्धता केन्द्रित करने की आवश्यकता है ताकि प्रशिक्षित कानूनी पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। वर्तमान में समस्त भारत में 14 राष्ट्रीय विधि विद्यालय/विश्वविद्यालय स्थापित हैं, जो सीमाओं के पार नाम तथा मान्यता अर्जित कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त गुणात्मक कानूनी शिक्षा में अभिगम्यता को सुधारने के उद्देश्य से तथा गहन अन्वेषण की परम्परा जो कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हों एवं स्थायी कानूनी प्रशिक्षण के उत्थान हेतू राजीव गांधी शिक्षा शहर, सोनीपत, में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित की गई है।

इस विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विधि तथा सहबद्ध शिक्षण की समस्त शाखाओं में उन्नत अध्ययन एवं अनुसंधान को आयोजित करने के उद्देश्य से, विधि जानकारी और विधिक पद्धति के प्रचार में, भारत तथा विदेशों में विधि के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान की संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित करने और विधिक शिक्षा में उपाधियों, पदवियों, उपाधि–पत्रों आदि को प्रदान करने हेतु विकसित किया जाएगा।

अतः बिल प्रस्तुत है।

गीता भुक्कल,
शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
24 फरवरी, 2012

सुमित कुमार,
सचिव।

प्रत्यायोजन विधान के बारे में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक का खण्ड 25 उपकुलपति को कुलपति के अनुमोदन से परिनियम बनाने के लिए अधिकृत करता है। विधेयक का खण्ड 27 कार्यकारी परिषद् को अध्यादेश बनाने की शक्ति प्रत्यायुक्त करता है। इसी प्रकार विधेयक का खण्ड 28 विश्वविद्यालय के प्राधिकरण को अधिनियम के प्रयोजन की पालना करने हेतू विनियम बनाने की शक्तियां प्रत्यायुक्त करता है। प्राधिकरण को शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य आचरण है। अतः हरियाणा विधान मंडल के प्रकिया एवं कार्य संचालन के नियम 126 के अन्तर्गत वांछित प्रत्यायोजन विधान का ज्ञापन संलग्न है।

49620—HVS—H.G.P., Chd